राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (बाड़मेर जिले के विशेष संदर्भ में)

मांगी लाल

Ikjk'k% *भारत गांवों का देश है, क्योंकि यहां की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। पंचायतें प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग रही हैं। ग्रामीण भारत के सामाजिक -आर्थिक परिवेश की उन्नति एवं प्रगति में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः गांवों का आर्थिक, सामाजिक व ढांचागत विकास करना होता है ताकि गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। राजस्थान में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरांत भी अधिकांश गांवों में कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार आदि मूलभूत सुविधाओं की मांग निरंतर बढ़ रही है। गांवों में पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का पलायन शहरों की ओर होने लगा हैं। ग्रामीण विकास की वर्तमान अवधारणा पर पुनर्विचार कर गांवों के समग्र विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वहां के लोगों को सामाजिक आर्थिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। वर्तमान कोविड -19 महामारी के दौरान राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है। अतः समय एवं परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को देखते हुए इस पर निरंतर अध्ययन करना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर विश्लेषण किया गया हैं।*

मूल शब्दः पंचायतीराज संस्थाएँ, ग्राम स्वराज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, निर्धनता उन्मूलन और कोविड-19 महामारी।

प्रस्तावना

भारत का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही संभव हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश हैं। यहां की तीन-चौथाई आबादी गांवों में निवास करती हैं। इसलिए गांवों का विकास किए बिना देश के विकास की कल्पना करना निरर्थक हैं। गांवों के विकास एवं समृद्धि पर भारत का विकास निर्भर हैं। व्यापक जनचेतना व सक्रिय जनसहभागिता ही ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता का आधार बन सकती हैं। ग्रामीण परिवेश का समग्र अध्ययन करके ही देश का वास्तविक विकास कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से लगातार अनुभव किया गया कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जनसहभागिता को सुनिश्चित करने का सफल संस्थागत माध्यम सिद्ध हो सकती हैं और सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा किए गए आंकलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं फिर भी वे अपने पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में वास्तविक सीमा तक सफल नहीं हो सकी है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता का आधार देने के लिए 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम से ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और विकास योजनाओं में जनसहभागिता के नए स्वरूप देखने को मिलें। भारत में ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र में पंचायती राज संस्थाओं को ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया गया हैं।

भारत में प्राचीन काल से ही सुदृढ़ ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था रही हैं। जिसके प्रमाण हमें आदिम सिक्कों, अभिलेखों और प्राचीन साहित्यों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्यरत् थी जो पूरे गांव का शासन चलाती थी। यहां के गांव प्राचीन काल से ही सशक्त रहे हैं। गांवों को स्वायत्तता प्रारंभ से ही मिली है यहां के ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार स्तंभ पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज में लोकतंत्र की आत्मा निहित हैं। इसलिए स्वतंत्रता के बाद इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से लेकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तक इस क्षेत्र में प्रयास जारी रहे और अंततः पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। आज पंचायती राज संस्थाएं भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243ण में एक संवैधानिक निकाय के रूप में क्रियान्वित हैं। 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वें ग्राम स्तर पर *प्रत्यक्ष लोकतंत्र* की स्थापना करें ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके।

राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधीजी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का मंगल दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया अतः राजस्थान को देश में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का गौरव प्राप्त है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र पद्धति का मूल आधार है। गांधीजी के अनुसार ''लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों से नहीं वरन् प्रत्येक गांव में निवास कर रहे ग्रामीणजन द्वारा होगा। पंचायती राज में पंचायत के कानून ही माने जायेंगे, जो उन्ही के द्वारा बनाए गए होंगे।'' स्वतंत्र भारत की संघात्मक संरचना में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जनता की व्यापक भागीदारी हो। इनके बिना विकास की योजनाएं सफल नहीं हो सकती और ना ही सार्थक हो सकती है। ग्रामीण विकास में जन सहभागिता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास क्रियान्विति का महत्वपूर्ण साधन माना हैं।

''आज दुनिया के सामने जो बहुत -सी समस्याएं हैं, छोटे पैमाने पर एक गांव में भी हुआ करती हैं। जैसे– उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा की योजना, आरोग्य का प्रबंध, पड़ोसी गांव से संबंध, शांति की रक्षा यह सब काम गांव में भी उपस्थित हैं। इसलिए एक और समस्या निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था आवश्यक हैं, तो दूसरी ओर ग्राम स्वराज संस्था आवश्यक है। ग्राम स्वराज विश्व -समस्या को हल करने का एक प्रयोग हैं''।

– विनोबा भावे

ग्रामीण विकास एक व्यापक अवधारणा हैं। जो सम्पूर्ण ग्रामीण समाज का समग्र विकास सुनिश्चित करने से संबंधित है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई पेयजल, सड़क निर्माण, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण करना हैं। ताकि ग्रामीण लोगों के सामाजिक व आर्थिक ढांचे में विकास को प्राथमिकता मिलें। ग्रामीण विकास में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के सभी पहलू शामिल हैं। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने सही कहा है कि हमारा भारतवर्ष गांवों में बसता है, गांव हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। जब तक भारत के गांव उन्नत, स्वावलम्बी और समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता एवं स्वराज का भारत के लिए कोई मूल्य नहीं हैं। इसलिए देश के विकास के लिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना अत्यंत आवश्यक हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नाम से एक अलग विभाग स्थापित किया हैं। जिसका मुख्य कार्य राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न विकास योजनाएं संचालित करना हैं।

ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सामूहिक प्रयासों के द्वारा नगर क्षेत्र से बाहर निवास करने वाले ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें स्वावलंबी बनाना हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जन में जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए क्षेत्र के स्रोतों को अच्छे उपयोग और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक-आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके आय के अवसर को उन्नत करने के प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन के उन सभी पहलुओं से संबंधित कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुटीर उद्योग, आर्थिक व सामाजिक कल्याण के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और प्रत्येक ग्रामवासी को आत्मनिर्भर बनाना हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की मूल भावना ग्राम पंचायतों द्वारा स्वशासन अथवा स्व-सरकार की स्थापना करना हैं। राजस्थान में गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने तथा राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों को समृद्धि, खुशहाल तथा प्रगति की राह में आगे बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा स्वशासन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। जिसे विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे आदमी तक पहुंचाने का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं पर है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायती राज संस्थाएँ वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 से संघर्ष में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। आपदा को अवसर में परिवर्तित कर देने की पंचायती राज संस्थाओं की विलक्षण क्षमता का साक्षात उदाहरण कोविड-19 के इस काल को कहा जा सकता है।

राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से ग्रामीण विकास में एक नये अध्याय का शुभारंभ हुआ हैं। ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में सर्वतोन्मुखी सुधार करने का सचेत पर्यत्न ही पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु सबसे उपयुक्त एवं प्रभावी माध्यम पंचायती राज संस्थाओं को ही समझा जाता हैं। आजादी के बाद गांवों का सर्वागीण विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं लोकतंत्र को गांवों के स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया।

राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 44981 गांवों में निवास करती है। उसमें भी राजस्थान के बाड़मेर जिले की 93 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 2464 गांवों में निवास करती हैं। बाड़मेर जिला दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, विषम आर्थिक-सामाजिक परिवेश एवं प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझता रहा हैं।

इसके अलावा बाड़मेर जिले की शैक्षणिक संरचना भी संतोषप्रद नहीं है। यहां ग्रामीण विकास स्वतंत्रता के बाद बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरांत भी राजस्थान के बाड़मेर जिले के अधिकांश गांवों में कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं आदि मूलभूत सुविधाओं की मांग निरंतर बढ़ रही है। ग्रामीण जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर होने लगा हैं। फिर भी हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत गांवों का महत्व आज भी बना हुआ हैं। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को वास्तविक व मूर्तरूप बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

राजस्थान के बाड़मेर जिलें के ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अंत्यत महत्वपूर्ण हैं। बाड़मेर जिले में ग्रामीण विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं को सफल बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है :–

1- **f'k{kk dk {ks= esa%** शिक्षा सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान की कुंजी होती हैं। शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हममें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें शिक्षाकर्मी परियोजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय योजना, गुरू मित्र योजना, जनशाला कार्यक्रम, शिक्षा गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गार्गी पुरस्कार, मीना मंच, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, साईकिल वितरण योजना आदि प्रमुख हैं। इन सभी योजनाओं के सफल संचालन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इक्कीसवीं सदी में ग्रामीण समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है।

2- **'k) is;ty lacaf/kr ;kstuk,a%** राजस्थान का नाम सुनते ही रेगिस्तान की छवि सामने नजर आती है, लेकिन अब सरकार की विभिन्न जन

कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत स्थितियां बदल गई हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लोग न सिर्फ शुद्ध वातावरण में जीवनयापन कर रहे हैं बल्कि विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें शुद्ध पेयजल भी मिल रहा है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए जल ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल क्रांति अभियान, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आदि योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही सफल हुईं हैं। यहां ग्रामीण जल संरक्षण की परंपरागत युक्तियां नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, बेरी, पालर पानी आदि आज भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संरक्षित किए जाते हैं।

3- LoPNrk lac/kh ;kstuk,a% स्वच्छता और स्वास्थ्य का हमेशा से गहरा संबंध रहा है। प्रदूषित वातावरण से कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ी एक अच्छी आदत हैं। जिसे सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से मनुष्य के जीवन को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अनेक लाभ हो सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य किसी का भी जीवन बेहतर बना सकता है। क्योंकि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने हेतु पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान सम्पूर्ण भारत में सक्रिय हैं। जिसका उद्देश्य महात्मा गांधीजी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना रहा हैं। आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में शौचालय बना हुआ हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, समुदाय-प्रबंधित प्रणालियों का विकास किया गया हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता को बढ़ावा मिला हैं।

4- fctyh vkiwfrZ ;kstuk,a% आज वैश्विक युग में हर कार्य बिजली की सहायता से ही संभव हैं। बिजली की उपयोगिता केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उसकी उतनी ही उपयोगिता हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु कई योजनाएं जिसमें उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना (उदय), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिजली सब के लिए योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एल.ई.डी फॉर ऑल (उजाला) आदि योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सफल सिद्ध हुईं हैं।

आज बाड़मेर जिले का कोई भी दूर दराज गांव भी ऐसा नहीं रहा जहां बिजली आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई हो।

5- LokLF; lfo/kk,a lac/kh ;kstuk,a% स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार हैं। यह मानव जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। स्वस्थ नागरिक राष्ट्र एवं समाज की मानवीय सम्पत्ति है। व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र एवं समाज के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य ऐसा कारक है जो देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है क्योंकि किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य का परिणाम हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गई है जिसमें आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन धन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना आदि योजनाएं प्रमुख हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा हैं।

6- fu/kZurk mUewyu lac/kh ;kstuk,a% निर्धनता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिये बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि सम्मिलित होती हैं। ग्रामीण निर्धनता काफी हद तक कम उत्पादकता और बेरोजगारी का परिणाम है। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन राजस्थान में खेती अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर करती है जिससे उपज में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। पानी की कमी, खराब मौसम तथा सूखा भी ग्रामीण इलाकों में निर्धनता का प्रमुख कारण है। चरम निर्धनता कई किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर करती है। राजस्थान के बाड़मेर जिलें के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन हेतु कई योजनाएं व कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि प्रमुख हैं।

7- **lMd fuek.k lc/kh ;ktuk,¡%** सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह गति, संरचना और विकास के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। किसी भी देश एवं प्रदेश में सड़कों, पुलों तथा भवनों का निर्माण उस देश की प्रगति का सूचक है। राजस्थान में यातायात का अधिकांश भाग सड़कों पर ही चलता हैं। राज्य में सड़कें सभी तरह के विकास की एक प्रथम कड़ी हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तंत्र को विकसित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान समय में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हरित सड़क योजना, महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना, एवं भारत निर्माण योजना आदि प्रमुख हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में सड़क तंत्र की कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन-2025 कार्यक्रम तैयार किया हैं। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस-वे, फ्लाई ओवर व चार लाईन के राजकीय राजमार्ग बनाए जाएगें। इसमें ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित एवं संतुलित विकास में अर्न्तनिहित हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों के चहुंमुखी विकास को गति प्रदान करने तथा कल्याणकारी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है। सूचना के अधिकार से पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही आयी हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के विकास में गति के साथ-साथ समस्याओं के समाधान में अभुतपूर्व वृद्धि हुई हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व के समक्ष नई चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न की हैं। कोरोना महामारी ने न केवल हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के सामने संकट खड़ा किया है, बल्कि आर्थिक सामाजिक स्तर पर भी दुनिया में बड़े बदलाव किए हैं। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को वास्तविक व मूर्त रूप बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका सराहनीय हैं। सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समय-समय पर सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता रहा हैं। जिससे ग्रामीण विकास का मार्ग सुगम होता दिखाई दे रहा हैं। पंचायती राज संस्थाएं सदियों से भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रही है इसकी प्रासंगिकता एवं महत्व को संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नया आयाम दिया गया और पंचायतों को व्यापक शक्तियां व अधिकार देने का दायित्व

राज्यों को सौंपा। पंचायती राज संस्थाओं को अपने अधीनस्थ भौगोलिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं की पहचान और उसकी प्राथमिकता निर्धारित करने के सिद्धांतों के निरूपण कर सामाजिक एवं आर्थिक विकास के योजना निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान की बहुसंख्यक आबादी आज भी गांवों में निवास करती है इसलिए गांवों के समग्र विकास में ही राजस्थान की प्रगति और समृद्धि की कुंजी छिपी है।

संदर्भ

1. कटारिया, सुरेन्द्र : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृष्ठ संख्या 176
2. मीना, जनक सिंह : ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 23 मेन अंसारी रोड, दिल्ली, 2010, पृष्ठ संख्या 31-32
3. दांगी, के. एस : पंचायती राज और ग्रामीण विकास– एक सैद्धान्तिक विश्लेषण, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, मध्य प्रदेश, 2001, पृष्ठ संख्या 102-103
4. डॉ. महिपाल : पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ संख्या 107
5. मैथ्यू, जॉर्ज : भारत में पंचायती राज : परिप्रेक्ष्य एवं अनुभव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, जनवरी 2015 पृष्ठ संख्या 71
6. आर्य, विमला : पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, राजस्थानी ग्रथांगार, सोजती गेट, जोधपुर, 2013, पृष्ठ संख्या 110-111
7. शर्मा, बी. जी : जन सहभागिता से ग्रामीण विकास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000, पृष्ठ संख्या 72
8. यादव, सुबह सिंह व यादव, सत्यभान : ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1997, पृष्ठ संख्या 136
9. राजस्थान पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन 2010 से 2021 तक।
10. दिव्य पंचायत, पंचायत वाणी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति बाड़मेर।
11. www.barmer.rajasthan.gov.in
12. www.rajpanchayt.rajasthan.gov.in